संख्या- 18 / 2022 / बी-1- 582 /दस-2022

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
(बजट "क" वर्ग)
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊःदिनाँकः 08 अगस्त, 2022

विषयः- लोक निर्माण विभाग में सी.सी.एल. प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप "वर्कस् से सम्बन्धित बजट के आहरण एवं वितरण कार्य हेतु" डी.डी.ओ. कोड का आवंटन ।

महोदय,

लोक निर्माण विभाग में सी.सी.एल. प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप "वर्कस्" से सम्बन्धित बजट का ऑनलाइन आवंटन किये जाने हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करते हुए डी.डी.ओ. कोड संख्या आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, नीचे दी गयी तालिका के कॉलम-2 में अंकित कार्यालयों के लिए स्वीकृत केवल "वर्कस् से सम्बन्धित बजट के आहरण एवं वितरण कार्य हेतु" इन कार्यालयों के अधिशासी अभियन्ता को आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करते हुए उनके सम्मुख कॉलम-4 में अंकित डी.डी.ओ. कोड संख्या-4901 आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं :-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	जनपद	प्रस्तावित डी.डी.ओ. कोड
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अधिशासी अभियन्ता , निर्माण खण्ड (भवन) , सहारनपुर	सहारनपुर	4905
2	अधिशासी अभियन्ता , राजकीय राज मार्ग खण्ड , वाराणसी	वाराणसी	4905

भवदीय

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव ।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-18 / 2022 / बी-1- 582 (1) / दस-2022, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2 अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग।

3 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

4 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

5 मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी व सहारनपुर।

6 लोक निर्माण अनुभाग-10.

7 वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8.

8 वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, निर्माण भवन, लखनऊ।

9 सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी।

10 विभागीय आदेश पत्रावली।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।